भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
30.07.2014 को लोक सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2838

विद्युत का आबंटन

2838. श्री जैदेव गल्ला:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र से प्राप्त विद्युत को विभिन्न राज्यों को आबंटित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश ने कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र से 300 मेगावाट के आबंटन की मांग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) जी, हाँ।

(ख) विद्युत मंत्रालय ने, भूतपूर्व आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा 530 मेगावाट का अपना हिस्सा छोड़ने के बाद, दक्षिणी विद्युत क्षेत्र के लाभभोगी राज्यों को कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र से विद्युत देने के लिए आबंटन किया है। इस संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	पात्रता (मेगावाट)
तमिलनाडु	925 (गृह राज्य की 10% पात्रता सहित)
केरल	266
कर्नाटक	442
पुदुचेरी	67
अनाबंटित	300
कुल	2000

(ग) तथा (घ) हाल ही में, कुछ राज्यों, जिनमें भूतपूर्व आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल है, ने अनाबंटित कोटे में से विद्युत के आबंटन को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। तथापि, अनाबंटित विद्युत का आबंटन स्थिति की गंभीरता के आधार पर किया जाता है।

****